10/19. पत्रावली प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं निम्न लिखित कमियाँ पाई गई -

(i) प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन मे मजूरशुदा रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया गया है, जबकि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उक्त रास्ता जमाबंदी में स्वीकृत नहीं होना बताया है। अतः आवेदन पत्र में अंकित उक्त तथ्य मिथ्या हो

(ii) यदि प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत कराने का इच्छुक है तो उसे न्यायालय हाजा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 क के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 के तहत निर्धारित प्ररूप-1 में आवेदन करना चाहिए था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में उल्लिखितानुसार न्यायालय फीस का संदाय करना चाहिए था, जो कि प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। (iii) यदि प्रार्थी के आवेदन पत्र को ही न्यायहित में स्वीकार किया जावे तो भी न तो संबंधित अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है और न ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी किन मुरब्बों/किलों में से होकर रास्ता चाहता है। अतः आवेदन बिल्कुल अस्पष्ट एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। (iv) न तो प्रार्थी स्वयं और न ही उसका प्रतिनिधि उप.। अतः न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 के तहत प्रार्थी के न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस प्रार्थना पत्र को उपर्युक्त अंकित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त करने का आदेश देता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। उक्त आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 9.10.19	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner